कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर।
(जिला शस्त्र शाखा)
"आदेश "

पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के पत्रांक 4565/सी0आर0, दिनांक 24.10.2011 द्वारा खड़गपुर काण्ड संख्या72/06 दिनांक 08.06.2006, धारा–25(1–बी)/26/35 शस्त्र अधिनियम एवं 131/135 आर0 पी0 एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार यादव पिता नरेन्द्र यादव साकिन निशिहारा थाना खड़गपुर जिला मुंगेर द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपने लाईसेन्सी आग्नेयास्त्र तथा अवैध आग्नेयास्त्र के साथ अपनी पत्नी चन्दा कुमारी के पक्ष में मतदान करने हेतु मतदाताओं के बीच भय का माहौल उत्पन्न किए जाने के कारण पुलिस अवर निरीक्षक श्री विपीन लाल राम, तत्कालीन थानाध्यक्ष, खड़गपुर द्वारा अभियुक्त मनोज कुमार यादव के घर पर छापामारी कर लाईसेन्सी हथियार एवं अवैध आग्नेयास्त्र व कारतूस को जप्त किया गया एवं उक्त काण्ड में आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार यादव के एन0 पी0 बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0 27/2001 को रदद् करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मनोज कुमार यादव पिता नरेन्द्र यादव साकिन निशिहारा थाना खड़गपुर जिला मुंगेर से इस कार्यालय का ज्ञापांक 88/शस्त्र, दिनांक 14.02.2012 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। उन्होने दिनांक 01.03.2012 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जो संतोषजनक नहीं है। जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक 1121/विधि, दिनांक 04.08.2006 द्वारा खड़गपुर थाना कांड संख्या 72/2006 धारा–25 (1–बी0) ए0/26/35 आर्म्स एक्ट के अधीन शस्त्र अधिनियम की धारा 39 द्वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव, उपर्युक्त परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में मनोज कुमार यादव पिता नरेन्द्र यादव साकिन निशिहारा थाना खड़गपुर जिला मुंगेर का एन0 पी0 बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0 27/2001 को तत्कालिक प्रभाव से रदद् किया जाता है। प्रभारी उप समाहर्ता सुनिश्चित करें कि इस आदेश की इन्ट्री अनुज्ञप्ति पंजी एवं जहत अनुज्ञप्ति में की जाये। आदेश की प्रति सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को भेजी जाती है।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक ..../शस्त्र, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– मनोज कुमार यादव पिता नरेन्द्र यादव साकिन निशिहारा थाना खड़गपुर जिला मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 201 / शस्त्र, दिनांक 04/04/2012

प्रतिलिपि :–पुलिस अधीक्षक, मुंगेर / अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खड़गपुर एवं थानाध्यक्ष, खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित

04/04/12

जिला दण्डाधिकारी,
मुंगेर।